



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 09, 2018/फाल्गुन 18, 1939

No. 127]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 09, 2018/PHALGUNA 18, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 08 मार्च, 2018

सा.का.नि. 215(अ).—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलायची (अनुज्ञापन और विपणन)नियम 1987 में,

(1) नियम 4 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "प्रारूप क (नीलामकर्ता) या क1(ब्यौहारी) में अनुज्ञप्ति के लिए बोर्ड को " के शब्द, अक्षर तथा कोष्ठकों के लिए, "निर्दिष्ट प्रारूप में, मसाला बोर्ड को" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नीलामकर्ता या ब्यौहारी के रूप में प्रत्येक आवेदन के साथ तीन वर्ष की खंड अवधि या उसके भाग के लिए उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट फीस की रसीद संलग्न होगी। पश्चातवर्ती खंड अवधि के लिए अनुज्ञप्ति के जारी करने, नवीकरण करने और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ, समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट फीस का

पुनरीक्षण किया जाएगा। अनुज्ञप्ति फ़ीस, बैंक अंतरण के रूप में या मसाला बोर्ड के पक्ष में, एरणाकुलम या कोच्ची को संदेय क्रॉस पानेवाले के खाते में देय मांग ड्राफ्ट के रूप में संदेय होगी। "

(ग) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) मसाला बोर्ड, यदि उसका यथा लागू उप-नियम (4) और (5) के अनुसार आवेदक की उपयुक्तता का समाधान हो जाता है तो यथास्थिति निर्दिष्ट प्रारूप में अनुज्ञप्ति ज़ारी करेगा।

(घ) उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) नीलामकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति ज़ारी करने हेतु और ब्यौहारी के रूप में अनुज्ञप्ति के ज़ारी करने, नवीकरण करने और संशोधन करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे दिए अनुसार फ़ीस और यथा लागू कर, संलग्न होंगे।

(क) नीलामकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फ़ीस -

(i) पुस्तिका नीलामी

(1) ज़ारी करना - 15,000/- रुपए;

(2) संशोधन करना - 5,000/- रुपए ;

(ii) बोर्ड द्वारा स्थापित सार्वजनिक ई-नीलाम केन्द्रों में ई-नीलाम

(1) ज़ारी करना - 1,00,000/- रुपए;

(2) संशोधन करना - 5,000/- रुपए ;

(ख) ब्यौहारी अनुज्ञप्ति के लिए संदेय फ़ीस

(i) ज़ारी करने या नवीकरण करने या द्विनीतियक के लिए - 10,000/- रुपए;

(ii) संशोधन करने के लिए : 5,000/- रुपए। "

(2) नियम 5 में -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) नीलामकर्ता या ब्यौहारी के रूप में अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने का इच्छुक व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्रारूप में अपना आवेदन मसाला बोर्ड को उस वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व जिसमें अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति होती है, प्रस्तुत करेगा:

परंतु, मसाला बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुबंधित अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बढ़ाई जाएगी। "

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) मसाला बोर्ड को यदि आवेदक की उपयुक्तता का समाधान हो जाता है तो वह यथास्थिति विहित प्रारूप में अनुज्ञप्ति का नवीकरण करेगा।"

(ग) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) ई-नीलामी के लिए किसी अनुज्ञप्ति का तीन उत्तरवर्ती खंड अवधियों के लिए नवीकरण नहीं किया जाएगा यदि नीलामकर्ता एक वर्ष की लगातार की अवधि के लिए किसी कारबार का संव्यवहार करने में असफल रहता है या नियम 10 के उप नियम (1) के खण्ड (ट) और खण्ड (ड) के अनुपालन करने में असफल रहता है। "

(3) नियम 10 में -

(क) उप-नियम (1) के खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ट) नीलामकर्ता विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक रजिस्टर रखेगा और उसकी एक प्रति मसाला बोर्ड को नीलामी की तारीख से सात दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा। "

(ख) उप-नियम (1) के खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ठ) नीलामकर्ता नीलामी के अगले दिन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक अन्तरिम रिपोर्ट भी मसाला बोर्ड को अग्रेषित करेगा।"

(ग) उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) प्रत्येक ब्यौहारी मसाला बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा।"

(घ) उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) प्रत्येक ब्यौहारी मसाला बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक माह विवरणी भेजेगा जिससे वह बोर्ड के पास पश्चातवर्ती मास की दस तारीख को या उससे पूर्व पहुंच जाए।"

(4) "इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम, 1987 से प्ररूप-क, प्ररूप-क1, प्ररूप-ख, प्ररूप-ख1, प्ररूप-ख3, प्ररूप ग, प्ररूप-घ, प्ररूप ड और प्ररूप च का लोप किया जाएगा और उसको केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ, समय-समय पर मसाला बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

[फा .सं. 1/1/2014-वागान-डी]

सन्तोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि.116(अ) तारीख 26 फ़रवरी, 1987 और पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.नि. 645(अ), तारीख 13 सितंबर, 2002, सा.का.नि.312(अ), तारीख 25 मई, 2006 और सा.का.नि. 816(अ) तारीख 18 नवंबर, 2014 द्वारा किए गए थे।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th March, 2018

G.S.R. 215(E).— In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cardamom (Licensing and Marketing) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987, -
(1) in rule 4,-
(a) in sub-rule (1), for the words, letters and brackets "Form A (Auctioneer) or A1 (Dealer) to the Board" the words "the specified form, to Spices Board" shall be substituted.
(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
" (2) Every application, for license as auctioneer or dealer for a block period of three years or part thereof, shall be accompanied by a receipt of fee as specified in sub-rule (6). For subsequent block periods, there shall be a revision of fees, as stipulated by Spices Board from time to time, with the approval of the Central Government, for issue, renewal and amendment of license. The fee shall be payable in the form of bank transfer or crossed account payee demand draft drawn in favour of the Spices Board, payable at Ernakulam or Kochi".
(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
" (3) Spices Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant as per sub rules (4) and (5) as applicable, issue license in the specified form, as the case may be".
(d) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
" (6) Every application for issue of license as auctioneer and issue, renewal and amendment of license as dealer shall be accompanied by a fee as under, plus the tax as applicable:-

- (a) The fee payable for auctioneer license is -
- (i) manual auction
 - (1) issue: Rs.15,000/-;
 - (2) amendment: Rs. 5000/-;
 - (ii) e- auction in common e-auction centers established by the Board
 - (1) issue: Rs.1,00,000/-;
 - (2) amendment: Rs. 5,000/- ;
- (b) The fee payable for dealer license is-
- (i) issue or renewal or duplicate : Rs.10,000/-;
 - (ii) amendment: Rs.5,000/- ;”

(2) in rule 5, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(1) Any person desiring to renew his license as auctioneer or dealer may submit his application to Spices Board in the specified form, on or before 30th June of the year in which the validity of the license expires:

Provided that the date for submission of application shall be extended, as stipulated by Spices Board from time to time”.

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(2) Spices Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant, renew the license in the prescribed form as the case may be”.

(c) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) The license for e-auction shall not be renewed for the succeeding block period, if the auctioneer fails to transact any business for a continuous period of one year or fails to comply with clause (k) and clause (m) of sub-rule (1) of rule 10”.

(3) in rule 10,-

(a) for clause (k) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :-

“(k) the auctioneer shall maintain a register in the specified form and forward a copy of the same to Spices Board within seven days from the date of auction”.

(b) for clause (l) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely:-

“(l) the auctioneer shall submit an interim report of the auction to Spices Board, on the next day of the auction in the form specified by the Board” .

(c) for Clause(c) of sub-rule (2), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) every dealer shall maintain a register in the form specified by Spices Board”.

(d) for Clause (d) of sub-rule (2), the following clause shall be substituted, namely:-

“(d) every dealer shall submit a monthly return in the form specified by Spices Board so as to reach the Board on or before the 10th day of the succeeding month”.

(4) “FORM- A, FORM A1, FORM -B, FORM B1, FORM B3, FORM C, FORM D, FORM E, and FORM F shall be omitted from the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 and the same may be specified by Spices Board from time to time with the approval of the Central Government”.

[F.No.1/1/2014-Plant -D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 116(E), dated the 26th February, 1987 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 645(E), dated the 13th September, 2002, G.S.R. 312(E), dated the 25th May, 2006 and G.S.R. 816(E), dated the 18th November, 2014.